न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः–लक्ष

रेफरेन्स प्रा0प0 संख्या 9/2019

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील व जिला झुंझुनूं।

–– प्रार्थी

बनाम

फरहत पत्नी श्री बशीर मोहम्मद, जाति पठान, निवासी ईस्लामपुर तहसील व जिला झ

–– अप्रा

–––

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 82 राजस्था अधिनियम 1956

–––

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट– प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री तैयब हुसैन, एडवोकेट–अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनां

1. पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार झुंझुनूं व की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि मौजा माखर पटवार मण्डल मार जिला झुंझुनूं की हाल जमाबन्दी संवत् 2074–2077 के खाता संख्या 97 के अनुसा मे स्थित भूमि ख0न0 346 रकबा 1.01 है0 किस्म बारानी तृतीय की खातेदारी फ बशीर मोहम्मद, जाति पठान, सा0 ईस्लामपुर खातेदार के नाम से दर्ज रिकार्ड है भूमि के गत ख0न0 एवं पूर्व के रिकार्ड की स्थिति निम्नानुसार दर्ज रिकार्ड हैः–

क्र0 सं0	जमाबन्दी सम्वत्	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	जमीन 3 गैर मोरूसी कृषक व विवरण
1.	2012	360	274 बीघा 9 बिश्वा	गै0मु0नदी	राजकीय सिवायचक
2.	2025–2028	360	149 बीघा 9 बिश्वा	गै0मु0नदी	नोट आदेश जिलाधीश महो के कमांक 2265–67 दिनांक भूमि ख0न0 360 तादादी 18 बिश्वा 360/479 तादादी 1 बिश्वा कुल 291 बीघा गै0मु0नदी में से 128 बीघा र बारानी सोयम प्रति बीघा वसूल 133 बीघा 19 बिश्वा को प्रव नदी रहेगा।
3.	2025–2028	360 मीन	4 बीघा	बारानी सोयम	बैजनाथ पुत्र रामेश्वरला महाजन गैर खातेदार
4.	2029–2032	360 मीन	4 बीघा	बारानी सोयम	बैजनाथ पुत्र रामेश्वरला महाजन गैर खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:18:44 IST
Reason: SelfAttested

5.	2033–2036	360 मीन	4 बीघा	बारानी सोयम	बैजनाथ पुत्र रामेश्वरलाल जाति महाजन गैर खातेदार
6.	2042–2045	360 मीन	4 बीघा	बारानी सोयम	बैजनाथ पुत्र रामेश्वरलाल जाति महाजन गैर खातेदार
7.	2060–2063	346	1.01 है0	चाही 3	फरहत धर्मपत्नी श्री बशीर मोहम्मद खान जाति पठान निवासी ईस्लामपुर खातेदार।
8.	2062–2065	346	1.01 है0	चाही 3	फरहत धर्मपत्नी श्री बशीर मोहम्मद खान जाति पठान निवासी ईस्लामपुर खातेदार।
9.	2064–2067	346	1.01 है0	चाही 3	फरहत धर्मपत्नी श्री बशीर मोहम्मद खान जाति पठान निवासी ईस्लामपुर खातेदार।
10.	2068–2071	346	1.01 है0	चाही 3	फरहत धर्मपत्नी श्री बशीर मोहम्मद खान जाति पठान निवासी ईस्लामपुर खातेदार।
11.	2074–2077	346	1.01 है0	चाही 3	फरहत धर्मपत्नी श्री बशीर मोहम्मद खान जाति पठान निवासी ईस्लामपुर खातेदार।

उक्त वर्णित भूमि गै0मु0 नदी होने से प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के कारण खातेदारी दी उचित नही है। उक्त भूमि की खातेदारी किसी निजी व्यक्ति को दिया जाना या अन्तरण जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है। उक्त के संबंध में किये गये समस्त प्रकार के आवंटन/नियमन/अन्तरण तथा आज तक की परिवर्तन की कार्यवाही प्रारम्भ से ही शून्य प्रभावी है। माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के दर्ज एस0बी0सिविल रिट पिटिशन संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राज अन्य के अन्दर दिये गये निर्णय के अनुसार उक्त भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने के खातेदारी से हटाई जाकर राज्य सरकार के नाम की जानी आवश्यक है। सार्वजनिक उपयो उक्त विवादित भूमि किसी व्यक्ति विशेष की खातेदारी कब्जे में दिया जाना न्यायोचित नह इस प्रकार की भूमियो की सुरक्षा करना प्रार्थी तहसीलदार (भूमिधारी) का कर्तव्य है। र रिकॉर्ड में गलत अंकन की आड में गैर खातेदारी अपने प्रभाव से किसी प्रकार से उक्त वि भूमि की खातेदारी ग्रहण कर लेता है तो राज्य सरकार को तहफी होगी, अपूर्तनीय होगी, आमजन को असुविधा होगी, आवश्यक मुकदमेबाजी होगी तथा अनेको कानूनी पेच उत्पन्न हो जावेगी। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि रेफरेन्स प्रार्थन स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम माखर में स्थित खसरा नम्बर 346 रकबा 1.01 है0 किस्म बारानी की खातेदारी अप्रार्थीगण के खाते से हटाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज कर आदेश प्रदान करने की कृपा करे तथा अन्य सिद्धि जो राज्य हित व सार्वजनिक हित में जाना उचित हो व भी दिलाने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:18:44 IST
Reason: SelfAttested

2. बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत कि ग्राम माखर की सरहद मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 346 रकबा 1.01 हैक्टर के मुताबिक जम संवत् 2012 से 2028 के अनुसार पुराने भूमि खसरा नम्बर 360 रकबा 274 बीघा 9 बिश्वा

खातेदारी राजकीय खाते मे गैर मु0 नदी दर्ज रिकार्ड थी। ग्राम जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 उक्त भूमि की खातेदारी गलत तरीके से दर्ज कर दी जो पलटने योग्य है। ऐसा नामान्तरकर स्वीकार करने तथा ऐसा रिकार्ड तैयार करने का किसी भी व्यक्ति को कोई कानूनी अधिकार न है। अतः प्रार्थी का प्रा0प0 स्वीकार किया जाकर अनावेदक के खाते से हटाया जाकर पुनः गै0मु नदी के नाम दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भेजे जाने क आदेश फरमाया जावे।

3. वकील अप्रार्थीगण ने राजकीय अधिवक्ता के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि प्रकर मे रेफरेन्स की कार्यवाही नही की जा सकती है। पटवारी रिपोर्ट मे अप्रार्थी का कब्जा काश्त खातेदारी मानी गई है। विवादित भूमि की किस्म गै0मु0नदी से बारानी सोयम हो चुकी है विवादित भूमि के मौके पर कुआ बना हुआ है। अप्रार्थी द्वारा विवादित भूमि के मौके पर काश्त जा रही है। संवत् 2025 से विवादित भूमि अप्रार्थी के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। उ जमीन मदन को आंवटित हुई थी। मदन से अप्रार्थी ने सन् 1978 मे क्रय की है। अतः प्रार्थी यह रेरेन्स प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

4. पत्रावली का अवलोकन किया व बहस राजकीय पैरोकार पर बगौर मनन किया। ग्राम माखर सरहद मे स्थित विवादित भूमि खसरा नम्बर 346 रकबा 1.01 हैक्टर जिसके पुराने भूमि ख नम्बर 360 रकबा 274 बीधा 9 बिश्वा थे, की खातेदारी राजकीय खाते मे गैर मु0 नदी रिकार्ड थी। चूंकि अप्रार्थी ने मूल आंवटी से विवादित भूमि क्रय की है एवं आवंटन के स विवादित भूमि प्रतिबन्धित थी या नही यह स्पष्ट नही है। ऐसी स्थिति में हम रेफरेन्स मान राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को किया जाना उचित नही समझते हैं। अतः प्रार्थी का रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारीज किया जाकर अदालत मातहत को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रे किया जाता है कि प्रकरण मे यह जांच कर कि क्या अप्रार्थी ने विवादित भूमि मूल आंवटी से की है या नही एवं क्या मूल आंवटी अप्रार्थी को उक्त विवादित भूमि विक्रय कर सकता था नही? भूमि अलोटमेन्ट के समय भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि थी या नही? की जांच कर गुणावगुण के आधार पर जांच कर यदि प्रकरण रेफरेन्स योग्य पाया जाता है तो पुनः रेफ प्रस्तुत करे। अतः पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दा दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 29.03.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.05.16 12:18:44 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनू
जिला कलक्टर झुन्झुनू